राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2016 ग्रम पंचायत थानेटा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(मूलसिंह राजावत पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत थानेटा

प्रकरण सं. – 22/**2009** रे0वा0 निर्णय दिनांक – 19.05.2016

अनवान

1 नौजी देवी पत्नी मानसिंह उम्र 60 साल, निवासी पीपल वाला– थानेटा, तहसील भीम।

–वादी

1 रतन सिंह पिता खीम सिंह रावत उम्र 60 साल, निवासी पीपल वाला– थानेटा, तहसील भीम।

– प्रतिवादी

वाद–पत्र : अन्तर्गतधारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

मौजा पीपलवाला, प. ह. थानेटा, तहसील भीम में निम्न विवरण वाली आराजियात मुझ पति के नाम व खाते में दर्ज हैं तथा अभी उनकी मृत्यु हो जाने से उक्त आराजी की समस्त वारिस मै होकर उक्त समस्त आराजी मेरे कब्जे व मेरी देख–रेख में ही चली आ रही हैं :–

खसरा नम्बर	**रकबा**
7944	0–17–0
7964	0–12–0

उक्त आराजी मेरे पति के खाते व कब्जे में होकर मेरे पति ही उक्त आराजी का उपयोग–उपभोग करते आ रहे है तथा पति की मृत्यु के बाद मैं काबिज होकर काश्त करती, कराती आ रही हूं तथा उक्त प्रतिवादी को उक्त आराजी से कोई लेना–देना नहीं हैं तथा उक्त आराजियात में उसका कोई हक नहीं हैं फिर भी वह आये दिन उक्त आराजी पर निरन्तर कब्जा करने पर आमादा हैं।

प्रतिवादी आये दिन अवैध समूह बना कर नाजायज रूप से मेरी उक्त आराजी में प्रेवश कर जाते हैं तथा मुझ अबला को अकेला देख मेरी उक्त आराजी को हड़पने पर आमादा हैं तथा निरन्तर उक्त आराजी को स्वंय की आराजी बता मेरी जमीन में प्रवेश कर रहें हैं।

वाद कारण करीब 03 माह पूर्व उत्पन्न हुआ जब उक्त प्रतिवादी ने हमारी खड़ी फसल को जबरन काट कर ले जाने का प्रयास किया तब मेरे पति के थाने में रिपोर्ट देने व गांव वालो के समझाने पर वह रूक गया लेकिन अब मेरे पति के देहान्त के बाद वह लगातार मुझे ऐलानियां धमकियां दे रहा हैं कि मै जमीन को तो लेकर रहूंगा तथा मुझे भी उक्त जमीन में जाने से रोक रहा हैं जिससे वाद कारण निरन्तर जारी हैं।

अतः प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 केम्प थानेटा में पेश हुआ। वादी का वाद जिला न्यायाधिश रासमन्द के प्रकरण सं0 26/2011 दिनांक 1.4.2013 के निर्णय अनुसार वादी का वाद खारिज हो जाने से इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण सं0 22/2009 रे0वा0 खारिज किया जाता हैं।

( )
पीठासीन अधिकारी